न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

अपील सं0 26/2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. उच्छव कंवर पत्नि गोपाल सिंह, अध्यक्ष होदायली प्राथमिक महिला सहकारी समिति लिमिटेड होदायली (लालसोट) जिला दौसा राजस्थान।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा (राजस्थान) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.12.2015 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा अन्तर्गत मुकदमा नंबर 36/2015 उनवानी प्रकरण नायब तहसीलदार लालसोट बनाम प्राथमिक महिला सहकारी समिति लिमिटेड होदायली तहसील लालसोट।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थितः 1.श्री महावीर सिंह चितोसिया अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 04.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 21.12.2015 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलकर्ता होदायली प्राथमिक सहकारी समिति लि0 होदायली की अध्यक्ष है और उचित मूल्य की वस्तु के लिए प्रार्थी की सहकारी समिति को जिला रसद अधिकारी से लाईसेन्स मिला हुआ है। प्रार्थी की समिति ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निरन्तर कार्य करती आ रही है। परन्तु प्रार्थीया की समिति से असंतुष्ठ लोगों द्वारा आम जनता के नाम से प्रार्थी के समिति के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। जिस पर जिला रसद अधिकारी ने आदेश क्रमांक 53 दिनांक 05.05.2015 द्वारा प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलंबित कर दिया। उसके बाद यह लिखते हुए व्यवस्थापक प्राथमिक महिला सहकारी समिति होदायली द्वारा कारण बताओं नोटिस की तामील के बावजूद उपस्थित होकर कोई जबाव नहीं दिया गया जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2015 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना एवं नोटिस का जबाव लिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया। जिला रसद अधिकारी के कार्यालय से कोई कारण बताओ नोटिस प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी समिति ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण किया है। शिकायत संभवतः अपीलांट के विरोधियों द्वारा समिति का क्षति पहुचाने के लिए की गई है जिन्होने आम जनता के प्रतिनिधि बनकर प्रार्थना पत्र पेश किया

है वे सभी प्रार्थी से द्वेषता रखने वाले लोग है तथा हस्ताक्षर भी फर्जी है। ऐसे शिकायती प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी समिति का प्राधिकृत लाईसेन्स निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा जबाव पेश करने का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी को कोई असालतन तामीन हुए बिना समस्त कार्यवाही एकतरफा मे की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.12.2015 निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि आम जनता होदायली तहसील लालसोट द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार लालसोट से शिकायत की जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक महिला सहकारी समिति होदायली तहसील लालसोट द्वारा माह अप्रैल 2015 का आंवटित केरोसीन खाली नही करवाने पर प्राथमिक महिला सहकारी समिति द्वारा आदेशों के अनुरूप वितरण मे व्यवधान उत्पन्न करने पर आदेश क्रमांक 53 दिनांक 05.05.2015 द्वारा प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की गई एवं सहकारी समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के बावजूद भी उपस्थित होकर कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 21.12.2015 को सूचना मिलने के उपरान्त कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। समिति के विरूद्ध सचिव व सरपंच ग्राम पंचायत होदायली ने भी शिकायत की है कि समिति का सचिव शराब पीकर अभद्रता करता है। इस प्रकार प्राथमिक महिला समिति होदायली द्वारा वितरण कार्य मे कोई रूचि न लेकर व्यवधान उत्पन्न करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहकारी समिति द्वारा "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976" का स्पष्ट उल्लंधन तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंधन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2015 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2015 मे महिला सहकारी समिति के विरूद्ध कालाबाजारी, गबन जैसे किसी गंभीर आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2015 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official